

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पीएफ-८/2011-1694, दिनांक 28.03.2012 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1215/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0 / 2012-13, दिनांक 16 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-सहारनपुर की 208 आवासों के संख्या 7 आवासों की 01 परियोजना के लिये रु0 13.14 पर्याप्त लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-37 से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय/अंतिम किश्त की कुल धनराशि रु0 5,50,000.00 (रु0 पाँच लाख पचास हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश की धनराशि शासनादेश संख्या-2736/69-1-08-68(बजट)/2008टीसी, दिनांक 05 नवम्बर, 2008 द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रमांक	जनपद/परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लापत्ति :	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि अवस्था सुविधाओं सहित।
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर/ सहारनपुर	208	390.44	7	5.50
	योग				5.50

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएँ पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एक्फेलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि का कोषागार आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण संचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख संचिव/सचिव अध्यक्ष विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

6. स्वीकृत धनराशि बैंक / डाकघर / डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस- 2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक / सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्भत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप हैं एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.80/रा.20-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिस्थितियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 प0 संख्या-ई-8-1491/दस-2012, दि0 04 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-1574(1)/69-1-12-68(बजट)/2008टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1 को केन्द्राश प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पी0एफ0-ए/2011-1694, दिनांक 28.03.2012 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
6. नियोजन अनु0-4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) को कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8✓ सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

अमृत से,

(आर०पी० सिंह)
उपसचिव।